Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टी.ए. / 12557 / 2004 / दौसा

1– हरसहाय पुत्र जगन्नाथ)
2– मांगीलाल पुत्र मूलचन्द)
3– रेवड पुत्र मूलचन्द) जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी
4– रामराय पुत्र मूलचन्द) ग्राम सलेमपुरा तहसील लालसोट
5– रामविलास पुत्र मूलचन्द) जिला दौसा
6– केसरीलाल पुत्र मूलचन्द)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।
2– हीरालाल पुत्र मूल्या जाति रेगर निवासी ग्राम सलेमपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।

.....अप्रार्थीगण

एकल–पीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः–
श्री वी. पी. नागर, अभिभाषक प्रार्थी
श्री सत्यनारायण सोलंकी, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 07 मार्च, 2018

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 9–8–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–41/04 शीर्षक हरसहाय आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि को खारिज किया है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार तहसीलदार लालसोट ने प्रकरण संख्या–1/04 अन्तर्गत धारा–183(C) राजस्थान काश्तकारी

<u>निगरानी / टी.ए. / 12557 / 2007 / दौसा</u>
हरसहाय आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि

अधिनियम अधिनियम, शीर्षक हीरा बनाम मांगीलाल आदि प्रारम्भ कर एक नोटिस अप्रार्थीगण / वर्तमान प्रार्थीगण को इस आशय का जारी किया कि तहसील लालसोट के ग्राम सलेमपुरा के खसरा नम्बर-6/2 रकबा 11.07 बीघा भूमि हीरालाल पुत्र मूल्या जाति रेगर जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण / वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा दुकानों का निर्माण कर तथा कृषि कार्य कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। इसलिये धारा-183(C) का नोटिस इस आशय का जारी किया जाता है कि नोटिस प्राप्त होने पर अनाधिकृत अतिक्रमण हटा लिया जावे। इस नोटिस का वर्तमान प्रार्थी संख्या-1 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात विद्वान तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 8-3-2004 के द्वारा प्रकरण को निर्णित करते हुये अप्रार्थीगण / वर्तमान प्रार्थीगण को बेदखल करने तथा एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया। तहसीलदार लालसोट के निर्णय दिनांक 8-3-2004 के विरूद्ध वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील संख्या-41/04 शीर्षक हरसहाय बनाम राजस्थान सरकार, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 9-8-2004 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। तहसीलदार लालसोट के निर्णय दिनांक 8-3-2004 तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 9-8-2004 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की मुख्य बहस यह है कि तहसीलदार धारा-183(C) के तहत केवल नोटिस जारी कर सकता है। नोटिस की पालना नहीं होने पर सजा का आदेश तहसीलदार पारित करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि धारा-183(C) में Conviction है। Conviction केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत ही की जा सकती है। तहसीलदार को दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत Conviction करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। तहसीलदार Conviction के संबंध में सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना अथवा सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष Complant ही दर्ज करवा सकता है। स्वयं Conviction आदेश पारित नहीं कर सकता है। इस बिन्दू पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने R.B.J. 2007 Page-65 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में धारा-183(C) की शक्तियां किसी भी अधिकारी को दिये जाने का अंकन नहीं किया गया है। निगरानीधीन निर्णय क्षेत्राधिकारविहिन होने के कारण निरस्त किये जाने

योग्य है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी की मुख्य तर्क यह है कि इस बिन्दू पर कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूमि अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि है जिस पर वर्तमान प्रार्थीगण का अनाधिकृत कब्जा है एवं वर्तमान प्रार्थीगण स्वर्ण जाति के व्यक्ति हैं। पूर्व में धारा–183(B) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल तक वर्तमान प्रार्थीगण के विरूद्ध यथावत रखा गया है। धारा–183(C) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार कारावास का आदेश पारित करने में सक्षम है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय है। समवर्ती निर्णयों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि निगरानी का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है। इसलिये निगरानी खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– यह प्रकरण धारा–183(c) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नोटिस जारी करने तथा नोटिस के आदेशानुसार पालना नहीं किये जाने पर दण्डित किये जाने के प्रावधान के संबंध में है। धारा–183(c) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन किया गया :–

Sec. 183(c) is here by reproduced as under :

[183-C. Punishment for trespass in certain cases - Without prejudice to any thing otherwise contained in Section 183-B, a trespasser who,-

(a) takes possession, without lawful authority, of land held by a tenant belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe; or

(b) having taken such possession before coming into force of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1992 fails to withdraw from such possession within 15 days from the date of the service of a notice in writing calling upon him to do so, by the Tehsildar;

shall on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees;

Provided that when any person is prosecuted for such an offence, the burden of poving that he has not committed the offence shall lie on him.]

8– धारा–183(c) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार अनुसूचिज जाति एवं अनुसूचित जन जाति की भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत अतिचार करने पर कब्जा हटाने का नोटिस जारी करने का प्रावधान किया गया है। नोटिस तामील होने के 15 दिन के अन्दर अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो तहसीलदार दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अतिचारी के विरूद्ध सजा के आदेश हेतु Complaint प्रस्तुत करने में सक्षम है। तहसीलदार स्वयं धारा–183(c) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है। इस बिन्दू पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त R.B.J. 2007 Page-65 का अवलोकन किया गया :–

RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955 - Section 183-c and Criminal Procedure Code 1973 Section 4(2) - Only Magistrate of first class can try the case u/s 183-c and not the Tehsildar- In this case, non applicants trespassed on the land of applicants, therefore, Tehsildar took a decision for filing an FIR in police, Before filing FIR Tehsildar wrote a letter to the Collector for guidance. The Collector directed the Tehsildar that he himself should try the case and punish the trespassers. The Board of Revenue held that only the Magistrate of first class can try the case u/S 183-c **revision accepted.**

9– वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार ने स्वयं प्रार्थीगण को एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो क्षेत्राधिकारविहिन है।

<u>निगरानी / टी.ए. / 12557 / 2007 / दौसा</u>
हरसहाय आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि

10– फलस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट का निर्णय दिनांक 8–3–2004 तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा का निर्णय दिनांक 9–8–2004 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार लालसोट धारा–183(C) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित शक्तियों का प्रयोग करते हुये अग्रिम कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य